न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 04 / 2024

थानाधिकारी पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर, ...प्रार्थी0

बनाम

वाजिद पुत्र आसीन जाति मेव निवासी धूरिंगालहेरी पुन्हाना, नूह मेवात हरियाणा

....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) बाबत एफ.आई.आर न. 18 / 2023 धारा 3,5,8 में जप्त वाहन के बाबत।

उपस्थित :–
1–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार प्रार्थी,
2–श्री विमल सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 27.12.2024

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) पेश किया गया , जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.01.2023 को वास्ते करने गस्त व बैंक एटीएम चैकिंग व निगरानी बदमाशान हेतु कस्बा भुसावर व इलाका थाना रवाना हुआ। पीएनबी मैं बाछरैन चैक करके पथैना बैंक चैक करने जा रहे थे तो समय करीब 1.10 ए.एम. पर एक ट्रक टाटा 2518 रजि. नं. एच.आर. 74 ए 5241 महुआ की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। ट्रक संदिग्ध प्रतीत होने पर हमराही जाफ्ता की मदद से नाकाबन्दी की गई। मन एच.सी. द्वारा सरकारी वाहन से पीछा किया गया तो बाछरैन पुल से आग्रे महुआ की तरफ ट्रक को साइड में खडा कर चालक व उसमें बैठे अज्ञात व्यक्ति सरसों के खतों की तरफ भाग गये। हमराही जाब्ता की मदद से पीछा किया तो अंधेरा व सरसों की फसल का फायदा उठाकर आंखों से ओझल हो गये। वापस आकर ट्रक रजि. संख्या एच.आर. 74 ए 5241 को चैक किया गया तो ट्रक में पीछे की तरफ कुल 25 गोवंश भरे हुये थे, तथा ट्रक के कैबिन को चैक किया तो केबिन में जरीन कैन जिसमें करीब 5 लीटर प्लास्टिक की कैन मिली जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ था। जिसे सूँघ कर देखा तो देशी हथकड शराब जैसी बू आ रही थी। केबिन से चालक की सीट के पीछे दस्तावेज सम्बन्धी

.........2

जिला कलेक्टर
भरतपुर

दो फाईल मिली जिनमें वाहन एच.आर. 74 ए 5241 की कआर.सी., सर्टिफिकेट व फिटनेस बीमा, जॉल्यूशन सर्टिफिकेट, टीडीएस डिक्लेरेशन व अन्य दस्तावेज मिले। उक्त सभी दस्तावेजों पर वाहन मालिक का नाम वाजिद पुत्र आसीन गॉव 289 श्री सिंगन्गालहेरी तहसील पुन्हाना जिला नूंह मेवात हरियाणा अंकित है। ट्रक से जप्त गोवंश को हमराही जाब्ता की मदद से ट्रक से नीचे उतार कर चैक किया गया तो कुल 18 गाय व 7 बछडे मिले। जिनमें से तीन गाय व एक बछडा मृत अवस्था में थे। पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाकर मृत गौवंश कुल 4 का पोस्टमार्टम करवाकर विधि अनुसार दफनाया गया। गौवंश कुल 25 को जरिये फर्द जप्ती कर कब्जा पुलिस लिया गया। बाद कार्यवाही जीवित गौवंश को गाडी में लादकर मन एचसी मय हमराही जाप्ता जीप सरकार चालक के रवाना होकर श्रीराम गोशाला सोसायटी भुसावर पहूॅचा, जहॉ कब्जा पुलिस ली हुई गौवंश को वरूऐ फर्द गौशाला संचालक को अस्थाई सुपुर्दगी में दी गई। जुर्म धारा 3,5,8 राज0 गौवंश अधिनियम के तहत अपराध घटित होना पाया गया। रिपोर्ट के अन्त में लिखा है कि जप्तशुदा वाहन ट्रक एचआर 74 ए 5241 थाना परिसर में खडी है, प्रकरण में उक्त वाहन से सम्बन्धित अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी बाजिद पुत्र आसीन जाति मेव निवासी सृसिंगाल्हेरी पुन्हाना, नूह मेवात हरियाणा वाहन स्वामी की ओर से जवाव पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि उक्त एफ.आई.आर. में दर्ज कृत्य से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन सदभावना पूर्वक अपने ड्राईवर को चलाने के लिये दिया गया था। अप्रार्थी0 के खिलाफ धारा 6 ए का प्रकरण झूंठा एवं मनगढ़त दर्ज किया गया है। अप्रार्थी वाहन का स्वामी है। अप्रार्थी निर्दोष है, अप्रार्थी को अपने आजीविका कमाने के लिये उक्त वाहन की अत्यन्त आवश्यकता है। अप्रार्थी के ट्रक एचआर 74 ए 5241 पर झूंठा केस बना कर जप्त किया गया। अप्रार्थी का जप्त वाहन थाने पर खड़ा हुआ धूप व वर्षात से खराव हो रहा है। अप्रार्थी के खिलाफ पेश प्रकरण को खारिज किया जावे तथा अप्रार्थी के वाहन को रिलीज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक का यह कहना कि प्रार्थी वाहन मालिक ने कोई कृत्य नहीं किया है, अप्रार्थी के यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि मौका गवाह से स्पष्ट है अप्रार्थी के वाहन से गौंवश जप्त किया गया है, जीवित गौवंश को गौशाला में दाखिल कराया गया है।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी वाहन संख्या ट्रक एचआर 74 ए 5241 से गौवंश को तस्करी के लिये परिवहन कर ले जा रहा था। अप्रार्थी का यह कृत्य धारा 3,5,8 राज0 गौवंश अधिनियम की परिभाषा में आता है जो दण्डनीय अपराध है।

अधिनियम का अध्ययन किया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 6 Transporter to be abettor:—

".....Whenver the bovine animals are trasported by any means of transport in furtherance of the object of colimission of any offence under this Act, the transporter shall be gulity of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provid under section 8 of the Act for person committing the said offence....."

The Rajasthan Bovine Animal (Prohivition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACt 1995 **की धारा 11** :—

"Burden of proof :- Wher any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him.

इस प्रकार प्रार्थी थानाधिकारी भुसावर द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 6ए गौवंश अधि0 के साथ प्रस्तुत नकल एफ.आई.आर., फर्द जप्ती गौवंश, जप्ती वाहन, फर्द पुछताछ, फर्द मौका नक्शा एवं बयान मौका गवाहन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन ट्रक एचआर 74 ए 5241 गौवंशीय पशुओं को गौवध के लिये परिवहन में लिप्त पाया गया है, अप्रार्थी का यह कृत्य धारा 5,6,8 गौवंश अधिनियम की तारीफ मे आता है।

उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन ट्रक एचआर 74 ए 5241 गौवंशीय पशु को गौवध के लिये परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) के तहत उक्त जप्त वाहन को राजसात (confiscate) किया जाता है।

अधिनियम की धारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6ए में दिये गये प्रावधान :—

(3– Insrtion of new section 6-A, Rajasthan Act No. 23 of 1995- After the exisstiong section 6 and before the existiog section 7 of the principal Act the following new section shall be inserted,namely :
6-A Confiscation of the means of conveyance-(1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation.....
Provided also that before ordering confisction under this sub-section(1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance.)

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के परिप्रेक्ष्य में जप्त वाहन वाहन ट्रक एचआर 74 ए 5241 वाहन पर राशि 25000/– (पच्चीस हजार रुपये) जुर्माना (Fine) लगाया जाना उचित पाते हैं। जुर्माना राशि 30 दिवस में जमा नहीं कराने पर जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (Confiscate) हो जावेगा।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया जाता है।

अधिनियम की धारा 6(ए)(1) में दिये गये प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में जप्त वाहन ट्रक एचआर 74 ए 5241 के वाहन मालिक 30 दिवस के अन्दर जुर्माना (Fine) राशि 25000/– (पच्चीस हजार रुपये,) राजकोष में जमा करादे, तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। बाद गुजरने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (Confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना भुसावर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर